संख्या-26/2018/876/सैंतीस-2-2018-1(17)/2016

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-21 मार्च, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुराने निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुये विभागीय वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप राज्य पशुधन एवं कृषि संबंधी प्रक्षेत्र योजना के अन्तर्गत नये वाहन का क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3202/उ.नि.क्षे./स.कृ.अ./चार-129/17-18, दिनांक-27.02.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-03-राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र' के मानक मद 14-कार्यालय प्रयोगार्थ मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित रू0-7.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष पुराने निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुये विभागीय वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप डी.जी.एस. एण्ड डी./जेम पोर्टल द्वारा अनुमोदित दरों पर 01 टाटा सूमो गोल्ड सीएक्स पीएस एसी बीएस-4 डीजल जीप के क्रय हेतु कर सहित रू0-6,14,007.00 (रूपये छः लाख चौदह हजार सात मात्र) का व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) क्रय किये जाने वाले वाहन का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय डी.जी.एस. एण्ड डी. के नये जी.ई.एम. पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा, किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(5) प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहनों की नितान्त आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर प्रतिस्थापन हेतु वाहन का क्रय किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत क्रय हेतु गुणवत्ता एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) उक्त वाहन का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो, अर्थात् क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-03-राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र-14-कार्यालय प्रयोगार्थ मोटर गाडियों का क्रय' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-26/2018/876(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।